



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042023-245334
CG-DL-E-22042023-245334

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1740]

No. 1740]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2023/वैशाख 1, 1945

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2023/VAISAKHA 1, 1945

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 1822(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2872(अ.) तारीख 24 जून, 2022, जो भारत के राजपत्र तारीख 24 जून, 2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला – गोरखपुर एल.पीजी पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील—उन्नाव, जिला— उन्नाव, उत्तर प्रदेश राज्य में एल.पी.जी. के परिवहन हेतु आई.एचबी. लिमिटेड द्वारा पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबंधित भू-स्वामियों को तारीख 19-07-2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और श्री सोमदत्त मौर्य सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी;

पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन अधिनियम 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

काण्डला—गोरखपुर पाइपलाइन परियोजना					
जिला – उन्नाव		राज्य – उत्तर प्रदेश			
तहसील	ग्राम का नाम	सर्वे नं./ गाटा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	एयर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	तारगाँव	5378	00	08	69
		5349	00	00	69
		5350	00	02	82
		5351	00	02	07
		5348	00	00	21
		5355	00	02	87
		5354	00	00	15
		5287	00	00	87
		5100	00	00	05
		5102	00	00	19
		5104	00	00	17
		5155	00	00	88
		5150	00	03	85
		5152	00	01	66
		5151	00	02	77
		5186	00	06	20
		5143	00	04	22
		5210	00	00	46
		5212	00	00	01
		5213	00	06	73
		5217	00	00	30
		5222	00	00	95
		5507	00	01	56
		5495	00	02	71
		5489	00	02	17
		5550	00	00	80
		5556	00	06	14
		5575	00	03	39
		5577	00	04	06
		5578	00	00	50
		5588	00	06	75
		4662	00	03	77
		4666	00	00	51
		4661	00	09	69
		4659	00	00	01

		4660	00	04	35
		5600	00	01	54
		5601	00	02	41
		5603	00	00	67
		5605	00	05	75
		5593	00	09	56
		5630	00	04	16
		5620	00	00	14
		6022	00	01	20
		6024	00	00	57
कुल			01	19	22

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I - भाग(1)/ई-45874]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 1822(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2872(E)) Dated the 24 June, 2022, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 24 June, 2022 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Kandla - Gorakhpur LPG pipeline project for the transportation of LPG from Kandla in the state of Gujarat to Gorakhpur in the state of Uttar Pradesh - Tehsil :- Unnao, District – Unnao in the state of Uttar Pradesh by IHB Ltd.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the concerned land owner by 19 July, 2022.

And whereas Shri Somdatt Maurya Competent Authority IHB Ltd., has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration, in I.H.B. Ltd., free from all encumbrances.

I.H. B. Ltd. shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline

SCHEDULE

KANDLA – GORAKHPUR PIPELINE PROJECT					
DISTRICT : UNNAO		STATE : UTTAR PRADESH			
TEHSIL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA		
			Hect.	Are.	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Unnao	Targaon	5378	00	08	69
		5349	00	00	69
		5350	00	02	82
		5351	00	02	07

	5348	00	00	21
	5355	00	02	87
	5354	00	00	15
	5287	00	00	87
	5100	00	00	05
	5102	00	00	19
	5104	00	00	17
	5155	00	00	88
	5150	00	03	85
	5152	00	01	66
	5151	00	02	77
	5186	00	06	20
	5143	00	04	22
	5210	00	00	46
	5212	00	00	01
	5213	00	06	73
	5217	00	00	30
	5222	00	00	95
	5507	00	01	56
	5495	00	02	71
	5489	00	02	17
	5550	00	00	80
	5556	00	06	14
	5575	00	03	39
	5577	00	04	06
	5578	00	00	50
	5588	00	06	75
	4662	00	03	77
	4666	00	00	51
	4661	00	09	69
	4659	00	00	01
	4660	00	04	35
	5600	00	01	54
	5601	00	02	41
	5603	00	00	67
	5605	00	05	75
	5593	00	09	56
	5630	00	04	16
	5620	00	00	14
	6022	00	01	20
	6024	00	00	57
TOTAL		01	19	22

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I-Part(1) /E-45874]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.